


11.10.2018

वकील अपीलान्ट अनुपस्थित।

अपीलान्ट अनुपस्थित।

अपीलान्ट एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगवाई गई, किन्तु वे असालतन अथवा वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 17 के तहत अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली